152

न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1670–दो/2004 विरूद्ध आदेश दिनांक 19–2–2004– पारित – व्दारा – अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण कमांक 55/1993–94 अपील

कालेज चौधरी कमल सिंह महाविद्यालय
मो. भिण्ड व्दारा सचिव, समिति दिलीप
सिंह यादव पुत्र रामभरोसे यादव मो
तहसील गोहद जिला भिण्ड ---आवेदक

विरूद्ध

1– विजय कुमार पुत्र सुरेश चंद बैश्य
ग्राम मो तहसील गोहद जिला भिण्ड

2– मध्य प्रदेश शासन --अनावेदकगण

(आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री एस0पी0धाकड़)
(अनावेदक क्र–1 की ओर से श्री एस0के0अवस्थी)
(अनावेदक क्र–2 की ओर से पैनल लायर)

आ दे श

(आज दिनांक 24-6 – 2016 को पारित)

अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 55/1993–94 अपील में पारित आदेश दिनांक 19–2–2004 के विरूद्ध यह निगरानी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पेश की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश इस प्रकार है कि कस्वा मौ स्थित भूमि सर्वे कमांक 3115/1 रकबा 0.209 हैक्टर पर नायव तहसीलदार ने आदेश दिनांक 27–4–89 से फलदार वृक्ष लगाने की अनुमति प्रदान की, किन्तु नायव तहसीलदार मौ व्दारा प्रकरण कमांक 72/90–91 बी 121 में पारित आदेश दिनांक 10–5–91 से वृक्ष

लगाने हेतु दिया गया अनुमति आदेश दिनांक 27-4-89 निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, गोहद के समक्ष अपील क्रमांक 157/1991-92 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 23-10-93 से अपील इस आधार पर निरस्त कर दी गई कि धारा 239 के तहत तहसील न्यायालय व्दारा जारी आदेश अंतिम होता है जो अपील योग्य नहीं है। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 55/1993-94 अपील में पारित आदेश दिनांक 19-2-2004 से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर अपील स्वीकार की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों के तर्को पर विचार किया गया तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन पर प्रकरण में विचार मात्र यह किया जाना है कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 239 के अंतर्गत तहसीलदार/नायव तहसीलदार व्दारा पारित आदेश अपील योग्य है अथवा नहीं ? विचाराधीन प्रकरण में नायव तहसीलदार मौ व्दारा प्रकरण क्रमांक 72/90-91 बी 121 में पारित आदेश दिनांक 10-5-91 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी गोहद के समक्ष प्रथम अपील क्रमांक 157/1991-92 प्रस्तुत हुई है जिसमें पारित आदेश दिनांक 23-10-93 के विरूद्ध द्वित्तीय अपील कमांक 55/1993-94 अपर आयुक्त, चंबल संभाग के समक्ष प्रस्तुत हुई है।

> **भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) - धारा 239 सहपठित 44 - धारा 239 के अंतर्गत तहसीलदार व्दारा पारित आदेश अंतिम है - धारा 44 के अधीन अपील प्रचलन योग्य नहीं है। (भेरूलाल बनाम किशन लाल 1990 रा0नि0 30 उच्च न्यायालय)**

विचाराधीन प्रकरण में नायव तहसीलदार मौ व्दारा प्रकरण कमांक 72/90-91 बी 121 में पारित आदेश दिनांक 10-5-91 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी गोहद के समक्ष प्रथम अपील कमांक 157/1991-92 प्रस्तुत हुई है जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 23-10-93 से अपील ग्राह्य योग्य न मानकर निरस्त करने में बैधानिक निर्णय लिया है और अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वित्तीय अपील कमांक 55/1993-94 अपर आयुक्त, चंबल संभाग के समक्ष प्रस्तुत हुई है जो अग्राह्य होते हुये भी आदेश दिनांक 19-2-2004 से स्वीकार करने की त्रृटि करते हुये अनुविभागीय अधिकारी गोहद का आदेश दिनांक 23-10-93 तथा नायव तहसीलदार मौ का आदेश दिनांक 10-5-91 निरस्त करते हुये विधि के प्रावधानों के विपरीत निर्णय लिया गया है जिसे स्थिर रखना न्यायहित में उचित नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 55/1993-94 अपील में पारित आदेश दिनांक 19-2-2004 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी गोहद का आदेश दिनांक 23-10-93 तथा नायव तहसीलदार मौ व्दारा प्रकरण कमांक 72/90-91 बी 121 में पारित आदेश दिनांक 10-5-91 यथावत् रखे जाते हैं।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर